TL No. 345787

आओ बनाएँ अपना मध्यप्रदेश।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक / 476 / राजस्व / 2017 सिंगरौली, दिनांक 05/09/17

प्रति,

समस्त विभाग प्रमुख

D.I.O. N.I.C. सिंगरौली

जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

बिषयः– शासकीय भूमि में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के लिये अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भः– अपर सचिव, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 12–5/2016/सात/शा.2ए भोपाल, दिनांक 17.08.2017

——00——

विषयांकित संबंध में कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र जिसकी प्रति पृथक से संलग्न है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा शासकीय भूमि में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के लिए प्ररुप–क (कंडिका 3 देखिए) अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः शासन निर्देश की प्रति संलग्न कर आपकी ओर निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु भेजी जा रही है। कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

संयुक्त कलेक्टर
हेतु कलेक्टर
जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

नोट – कृपया NIC वेब साइड में अपलोड करने का कष्ट करें।

(19) 3457-85
4.9.17
2) Revenue 345787

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 12–5/2016/सात/शा.2ए भोपाल, दिनांक 1/2/2017

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

विषयः शासकीय भूमि में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के लिये अनुज्ञप्ति।

जल, गैस, मल, औद्योगिक अपशिष्ट के वहन के लिए तथा विद्युत एवं फाईबर आप्टिकल्स के पारेषण के लिये भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये निजी भूमियों में भूमि के उपयोग का अधिकार का अर्जन करने एवं उससे सम्बद्ध तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधान उपलब्ध हैं, किन्तु शासकीय भूमियों में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के लिये कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इस कारण यह आवश्यक समझा गया है कि विभिन्न कम्पनियों, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों या अन्य एजेन्सियों को शासकीय भूमियों में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये प्रावधान बनाये जाएं।

अतएव् राज्य शासन द्वारा शासकीय भूमियों में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के लिये निम्नानुसार प्रावधान विहित किये जाते हैं :–

1. जल, गैस, मल, औद्योगिक अपशिष्ट के वहन के लिए तथा विद्युत एवं फाईबर आप्टिकल्स के पारेषण के लिये भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये शासकीय भूमियों में भूमि के उपयोग तथा उससे सम्बद्ध एवं आनुषंगिक विषयों के लिये 30 वर्ष की अवधि के लिये वार्षिक शुल्क पर अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी, जो अवधि अवसान के अंतिम वर्ष में आवेदन करने पर आगामी 30 वर्ष के लिये नवीकृत की जा सकेगी।

2. अनुज्ञप्ति स्वीकृति के लिए,–

   (1) यदि जिले के भीतर पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाई जाना है तो कलेक्टर;

   (2) यदि एक जिले से अधिक किन्तु संभाग के भीतर पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाई जाना है तो संभागीय आयुक्त; और

   (3) यदि एक से अधिक संभागों के भीतर पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाई जाना है तो राज्य सरकार,

   अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगी।

3. आवेदक कम्पनी/संस्था/निगम/सार्वजनिक उपक्रम/एजेन्सी सक्षम प्राधिकारी को अपनी परियोजना के विस्तृत विवरण का उल्लेख करते हुए भूमि के विवरण, नक्शा जिसमें प्रस्तावित पाईप लाईन का क्षेत्र दर्शाया जाएगा संलग्न करते हुए आवेदन करेगा। सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक जांच जैसी कि वह ठीक समझे, करायेगा और सर्वसाधारण को कम से कम 15 दिवस की अवधि देते हुए उद्घोषणा जारी कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करेगा और यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होता है तो उसका निराकरण करेगा तत्पश्चात् यह सुनिश्चित होने पर कि,–

   (1) आवेदक का प्रस्ताव परियोजना के प्लान के अनुरूप है,

   (2) प्रस्ताव लोक हित में है;

(4) आवेदक एजेन्सी परियोजना को पूर्ण करने के लिये तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता रखता है; तथा

(5) परियोजना की स्थापना के लिये चाही गयी अनुज्ञप्ति दिए जाने पर कोई पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं होगी;

सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की अनुमति दे सकेगा। अनुज्ञप्ति–पत्र परिपत्र के साथ संलग्न <u>प्ररूप–क</u> में निष्पादित किया जाएगा।

4. अनुज्ञप्ति के लिए प्रीमियम आवेदित भूमि के बाजार मूल्य का **15 प्रतिशत** प्रभारित किया जाएगा और वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क प्रभारित प्रीमियम राशि का 02 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी चाहे तो एक से अधिक वर्षो का अनुज्ञप्ति शुल्क एकमुश्त जँमा करा सकता है। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के समय प्रीमियम देय नहीं होगा, किन्तु वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क पुनर्निर्धारित किया जाएगा जो पूर्व अनुज्ञप्ति शुल्क का दोगुना होगा।

5. अनुज्ञप्ति की मंजूरी निम्न शर्तो/निबंधनों पर दी जाएगी;

(1) अनुज्ञप्तिधारी को भूमि पर उपयोक्ता का अधिकार प्राप्त रहेगा;

(2) भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है;

(3) अनुज्ञप्तिधारी भूमि को सभी विलंगमों (बकाया/प्रभारों आदि) से एवं अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा;

(4) अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं निबंधनों के किसी भी प्रकार के उलंघन के मामले में सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति वापस लेने तथा भूमि को मूल स्वरूप में वापस लेने का अधिकार होगा जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकर आदि देय नहीं होगा;

(5) भूमि के उपयोग के लिये विकास कार्य की योजना के कियान्वयन से पर्यावरण प्रतिकूल प्रभावित नहीं होना चाहिए;

(6) वन भूमि के मामले में अनुज्ञप्तिधारी को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक अनुमतियां वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी को केवल वन भूमि उपयोग करने की अनुमति होगी। वन का वैधानिक स्वरूप वन ही रहेगा एवं वन भूमि का स्वामित्व भी वन विभाग का ही होगा;

(7) भू–अभिलेखों में भूमि के अभिलिखित नोइयत में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

(8) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के लिए प्रीमियम राशि रू. ..../– (शब्दो में .... रूपया) (भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत) देगा और वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क प्रीमियम की राशि का 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष देगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी चाहे तो एक से अधिक वर्षों का अनुज्ञप्ति शुल्क एकमुश्त जमा कर सकता है। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के समय प्रीमियम देय नहीं होगा किन्तु वार्षिक शुल्क प्रत्येक नवीनीकरण के समय उस समय देय शुल्क का दोगुना पुनर्निर्धारित किया जाएगा;

(9) अनुज्ञप्तिधारी भूमि पर कोई भवन या संरचना का निर्माण नहीं करेगा;

(10) अनुज्ञप्तिधारी भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के पश्चात् भूमि को मूल स्वरूप में लायेगा, गड्ढों के रूप में नहीं छोड़ेगा;

(11) अनुज्ञप्तिधारी को भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछानें का अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं होगा और किसी अन्य उपयोक्ता को भी उसी स्थान पर ऊपर या नीचे या अगल–बगल में तकनीकी अपेक्षाओं की पूर्ति किये जाने के अध्यधीन रहते हुए भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने की मंजूरी दी जा सकेगी;

(12) तकनीकी अपेक्षाएं पूरी की गयी हैं या नहीं, यह तय करने का सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त रहेगा;

(13) वाद वाले उपयोक्ता के द्वारा पूर्व के स्थल पर विद्यमान उपयोक्ता को पहुचाई गयी किसी भी क्षति या व्यवधान के मामले में सक्षम प्राधिकारी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा;

(14) अनुज्ञप्तिधारी खुदाई कार्य के दौरान सभी पाईप लाईन, केबल, डक्ट भूमिगत स्थापन, उपयोगिता एवं सुविधाएं आदि की संभावित क्षति का किसी भी प्रतिष्ठित बीमा कम्पनी द्वारा बीमा करा सकेगी;

(15) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित कर किसी भी समय पाईप लाईनों/केबल/डक्ट स्थल का निरीक्षण कर सकेगा;

(16) अनुज्ञप्ति अनुबंध के लिए देय स्टाम्प ड्यूटी प्रभार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किए जाएंगे;

(17) अनुबंध की अवधि के अवसान के पश्चात् अथवा शर्त उल्लंघन या अपालन के मामले में अनुज्ञप्ति वापस लिए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी 90 दिवस के भीतर पाईप लाईन, केबल या डक्ट हटा लेगा और स्थल को पूर्व स्थिति में वापस लायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसा करने में चूक करता है तो उसका पाईप लाईन, केबल या डक्ट हटाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी के खर्चे पर पाईप लाईन हटाई जाएगी तथा भूमि को मूल स्वरूप में लाया जाएगा, यह खर्चा अनुज्ञप्तिधारी से वसूल किया जाएगा। ऐसी राशि भू–राजस्व के तौर पर वसूलयोग्य होगी।

6. इस नीति के प्रयोजन के लिये बाजार मूल्य से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ण क) में परिभाषित बाजार मूल्य होगा:

परन्तु जहां उक्तानुसार बाजार मूल्य नियत नहीं है वहां संभागायुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर कलेक्टर द्वारा बाजार मूल्य नियत किया जाएगा।

7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति स्वीकृति उपरांत कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत उपखंड अधिकारी और अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित किए जाने वाले अनुज्ञप्ति विलेख का प्रारूप–क संलग्न है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेन्द्र सिंह)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 13/12/, 2017

पृ.क्र, एफ 12–5/2016/सात/शा.2ए

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/माननीय राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन (समस्त विभाग)
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर।
6. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. संभागायुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश।
8. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

11. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश।

12. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही [illegible] कृपया नीति परिपत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर, [illegible] प्रतियॉ इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

13. संचालक, सूचना एवं प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेपित।

14. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया [illegible] मध्यप्रदेश शासन की सेवसाईट पर अपलोड करें।

15. विभाग की गार्ड फाईल में मूल प्रति रखी जाए।

(राजेन्द्र सिंह)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व [illegible]